5 1.5

वनभूमि के मॉग का पूर्ण औचित्य

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत मूलाकोट–काण्डे–भुइया मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 1466/III(2)/14–71(प्रा0आ0)/2013 दि0 4–3–2014 के द्वारा (प्रथम चरण हेतु) 10.000 कि.मी. लम्बाई हेतु रू0 58.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। इस मार्ग का समरेखन काठगोदाम–खुटानी–लोहाघाट मोटर मार्ग के रैंगलबैण्ड नामक स्थान से रैंगलबैण्ड मूलाकोट मोटर मार्ग कि.मी. 6 से प्रारम्भ किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखन में प्रारम्भ से लेकर कि.मी. 8 से 9 तक सिविल भूमि, नापभूमि, वनपंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। ग्राम काण्डे, भुइयॉ तोक मूलाकोट काफी नीचे बसे हुये हैं। जिस कारण मोटर मार्ग में हियरपिन बैण्ड दिये गये हैं। मार्ग के कि.मी. 8 से 9 के मध्य आरक्षित भूमि कक्ष सं0 1 व 2 स्थित है, जिस कारण मोटर मार्ग का निर्माण इन कक्षों से प्रस्तावित किया गया है, जो मात्र 200 मीटर लम्बाई में है। इस मार्ग के अन्त में कि.मी. 10 पर मात्र 100 मीटर लम्बाई में आरक्षित भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के कि.मी. 10 से लगभग 200 मीटर दूरी पर ग्राम मज्याप तोक मूलकोट गॉव बसा हुआ है। निकट भविष्य में इस मार्ग का विस्तारीकरण किया जाना है। विस्तारीकरण में मज्याप होते हुए नैलोरी, पुनौली ग्राम लाभान्वित होंगे, जिस कारण इस मार्ग के अन्त में 100 मीटर आरक्षित भूमि में मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्तानुसार मोटर मार्ग में मात्र 2.10 हे0 वनपंचायत एवं 0.210 हे0 आरक्षित तथा 2.730 हे0 सिविल/राज्य भूमि प्रभावित हो रही है। शेष भूमि ग्रामवासियों की नाप भूमि प्रभावित हो रही है। अन्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण एवं अन्य भूमि से मोटर मार्ग का समरेखन न हो पाने के कारण ही विशेष परिस्थिति में वनभूमि प्रस्तावित की गयी है। मोटर मार्ग के समरेखन में वनभूमि पर 7 मीटर चौड़ाई एवं नापभूमि में 9 मीटर चौड़ाई में ली गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार विशेष परिस्थितियों में ही वनभूमि में मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। जिसके लिए वनभूमि न्यूनतम ली गयी है तथा मार्ग में मात्र चीड़ के 141 छोटे वृक्ष ही प्रभावित हो रहे है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
लोहाघाट (चम्पावत)